सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट-दिनांक 05.08.2026

- **थाना बकेवर पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **चोरी की मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर घूम रहे अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जिंदा कारतूस 12 बोर एवं फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री श्रीश चन्द्र के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही ।

घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 04/05.08.2026 की रात्रि को थाना बकेवर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान चौकी विजौली क्षेत्रान्तर्गत विजौली पुल से पूर्व औरैया से इटावा जाने वाले हाईवे किनारे आमहार मोड़ के पास ग्राम आमहार की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया तो वह मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पकड़ लिया गया।

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से नाम-पता पूछते हुए उसकी तलाशी ली गयी तो अभियुक्त **सुरजीत पुत्र सुनील के कब्जे से** 01 अवैध तमंचा 12 बोर एवं 02 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुए। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने बताया कि उसने बरामद मोटरसाइकिल चोरी की थी तथा पुलिस को धोखा देने एवं मोटरसाइकिल की पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसकी आगे की नम्बर प्लेट निकालकर फेंक दी थी तथा पीछे की नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 228/2026 धारा 317(2)/336(3)/340(2) बीएनएस तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. **सुरजीत पुत्र सुनील निवासी कोकपुरा, थाना फ्रेंड्स कॉलोनी, जनपद इटावा, उम्र करीब 19 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 228/2026 धारा 317(2)/336(3)/340(2) बीएनएस तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बकेवर, जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 अवैध तमंचा 12 बोर।
2. 02 जिंदा कारतूस 12 बोर।
3. 01 हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल, (फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई)

पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष बकेवर श्री विपिन कुमार मलिक,उ0नि0 शोभित कुमार प्रजापति, हे0का0 जितेन्द्र कुमार, का0 रईश खान एवं का0 राजू प्रजापति ।